

## प्रेस नोट:-

### कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक-15.04.2019

#### यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-

जनपदीय पुलिस/ यातायात पुलिस गोण्डा द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडीयों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 66 वाहनों से मु0-13400 रू0 शमन शुल्क वसूल किया गया। शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।

#### शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 11 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

#### 14 वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों के गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थानो द्वारा 14 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

#### अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 14.04.2019 को जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए कुल-04 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 149 लीटर कच्ची शराब मय उपकरण बरामद की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है

#### थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही-

02. प्रमोद पाण्डेय पुत्र स्व प्रभुनाथ पाण्डेय निवासी दोहवा थाना परशुरामपुर जनपद बस्ती के कब्जे से 09 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-107/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. शिवशंकर पुत्र रामविलास पथरकट निवासी रैतादल सिंह गडरियनपुरवा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 100 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-112/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. विनोद कुमार सोनकर पुत्र रामकिशोर निवासी धरवा चांदपुर बरसेनिया थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-165/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### विवेचनाओं का निस्तारण-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल-09 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

#### अवैध असलहे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

#### गिरफ्तार अभियुक्त -

01. रामभूल बरुवार पुत्र रामकरन निवासी छजवा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

#### बरामदगी-

01. 01 अदद नाजायज तमंचा 12 बोर
02. 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।

#### पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-92/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

#### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.04.2019 को व0उ0नि0 मनोज कुमार मय हमराह के साथ थाना मोतीगंज क्षेत्र में लगे मंगाजोत तिराह बैरियर पर चेकिंग के दौरान उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद कर थाना मोतीगंज में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

#### गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. व0उ0नि0 मनोज कुमार थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।
02. उ0नि0 प्रदीप गंगवार, 03. का0 रामसिंह, 04. का0 संजय कुमार।

## सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल जनपद गोण्डा दिनांक 15.04.2019

### 01 कि० 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

#### गिरफ्तार अभियुक्त—

01. धनीराम बरूआर पुत्र रामदीन निवासी छजवा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

#### बरामदगी—

01. 01 कि० 500 ग्रा० नाजायज गांजा।

#### पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-91/19 धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

#### संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 14.04.2019 को थाना मोतीगंज व०उ०नि० मनोज कुमार मय हमराह फोर्स के साथ थाना मोतीगंज क्षेत्र में लगे मंगाजोत तिराह बैरियर पर चेकिंग के दौरान उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 कि० 500 ग्रा० नाजायज गांजा बरामद कर अभियुक्त के विरुद्ध थाना मोतीगंज में एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

#### गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. व०उ०नि० मनोज कुमार थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

02. उ०नि० प्रदीप गंगवार।

03. का० रामसिंह।

04. का० संजय कुमार।

### थाना मनकापुर पुलिस द्वारा जुआ खेलते 05 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार—

#### गिरफ्तार अभियुक्तगण—

01. नवीन पुत्र मुन्ने खॉ निवासी मनकापुर गाँव थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

02. अजीज पुत्र वसीम खॉ निवासी मनकापुर गाँव थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

03. उस्मान पुत्र नईम खा निवासी मनकापुर गाँव थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

04. फहीम पुत्र जहीउदीन निवासी मनकापुर गाँव थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

05. रामसजीवन पुत्र रामसुन्दर निवासी मनकापुर गाँव थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

#### पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०- 166/19 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

#### बरामदगी—

01. 52 तास के पत्ते।

02. 10180 रूपया नगद।

#### संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 14.04.2019 को मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति मनकापुर खास मंदिर के बगल में जुआँ खेल रहे हैं इस सूचना पर उ०नि० मो० जैश सिद्दकी मय हमराह फोर्स के साथ मुखबीर की सूचना व निशानदेही पर पहुँचकर उक्त अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 52 तास के पत्ते व 10180 रूपये बरामद कर थाना मनकापुर पर 13 जुआ एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया है।

#### गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ०नि० जैश सिद्दकी।

02. का० राहुल यादव।

03. का० अवधेश यादव।

04. का० राहुल चौहान।

## सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल जनपद गोण्डा दिनांक 15.04.2019

### गौवध निवारण अधिनियम का आरोपी अभियुक्त अवैध असलहा के साथ गिरफ्तार –

#### गिरफ्तार अभियुक्त–

01. इन्ताज अली पुत्र स्व0 वाजिद अली निवासी पतिसा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

#### पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0-159/19, धारा 379.323.504.411 भादवि व 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

02. मु0अ0सं0-160/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 करनैलगंज जनपद गोण्डा।

#### बरामदगी–

01. 01 अदद नाजायज तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस।

02. गौवंश के अवशेष।

#### संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 12.04.2019 को उक्त अभियुक्त द्वारा वादिनी श्रीमती सुग्गम पत्नी बकरीदी निवासी पतिसा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा की बछिया को चुराकर वध कर दिया था। जिसके सम्बन्ध में वादिनी द्वारा थाना करनैलगंज पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया था जिसमें करनैलगंज पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर कोरिनपुरवा तिराहा से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद नाजायज तमंचा 315 बोर मय कारतूस बरामद कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

#### गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 राधवेन्द्र सिंह।

02. उ0नि0 दिलीप कुमार।

03. हेड का0 शम्भू तिवारी।

04. का0 अनुज अवस्थी।

## सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल जनपद गोण्डा दिनांक 15.04.2019

### थाना इटियाथोक क्षेत्र के अन्तर्गत हुए हत्याकाण्ड के 02 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

#### गिरफ्तार अभियुक्त–

01. नानबाबू उर्फ जेलबाबू वर्मा पुत्र हीरालाल वर्मा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

02. जैतराज वर्मा पुत्र हीरालाल वर्मा नि0 रानीपुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

#### पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0-111/19 धारा 302 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

#### बरामदगी–

01. घटना स्थल में प्रयुक्त आला कत्ल।

#### संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 14.04.2019 को थाना इटियाथोक क्षेत्र की रहने वाली महिला गीतादेवी को जमीनी विवाद के चलते उसके ससुर व देवरों द्वारा जान से मार दिया था। जिसके सम्बन्ध में महिला के पिता सियाराम वर्मा पुत्र चिनगुद वर्मा निवासी पृथ्वी पाल गंज ग्रंट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा द्वारा थाना इटियाथोक में अभियोग पंजीकृत कराया था। जिसमें इटियाथोक पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से आलाकत्ल बरामद कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

#### गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. प्रभारी निरीक्षक इटियाथोक विद्यासागर वर्मा

02. व0उ0नि0 विरेन्द्र कुमार शुक्ला।

03 का0 राजनारायन यादव।

04. मा0आ0 सीमा यादव।

## सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल जनपद गोण्डा दिनांक 15.04.2019

### 02 कि0 700 ग्राम बारूद(विस्फोटक सामग्री) बरामद 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

#### गिरफ्तार अभियुक्त—

01. जगप्रसाद पुत्र धर्मराज गौतम निवासी डेहरास थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

#### पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-110/19 धारा 3/4/5 आर्म्स एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

#### बरामदगी—

01. एक काली पन्नी में 02 किलो 700 ग्राम बारूद।
02. एक काली पन्नी में लोहे, सीसे व लोहे के बुरादे।
03. 06 अदद चांदनी पत्ती के खाली डिब्बे।
04. 03 अदद मिक्स आधा भरे।

#### अपराधिक इतिहास—

01. मु0अ0सं0- 127/2000 धारा 457.380.411 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0-339/12 धारा 380 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

#### संक्षिप्त विवरण—

लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक गोण्डा आर0पी0सिंह ने जनपद में अवैध शस्त्र/अवैध शराब/विस्फोटक पदार्थ रखने व निर्माण में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के लिए समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को शख्त निर्देश दिये थे

उसी क्रम में थानाध्यक्ष परसपुर मय हमराह फोर्स के साथ रात्रिगस्त में मामूर थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति प्लास्टिक की बोरी में विस्फोटक सामग्री लेकर आ रहा है इस सामग्री से दहशत फैलाने व जान से मारने के गोला आदि तैयार करेगा। इस सूचना पर थानाध्यक्ष मय हमराह फोर्स के साथ मुखबिर की सूचना व निशानदेही पर चरहुंवा पेट्रोल पम्प के पास से उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से उक्त सामग्री बरामद कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

#### गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. थानाध्यक्ष परसपुर बृजानन्द सिंह।
02. उ0नि0 सुनील कुमार रावत।
03. हे0का0 रामकुमार सिंह।
04. का0 कुशहर यादव।
05. का0 योगेश कुमार।